कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
संख्या–96/01/डी.आर./एस–11/2021–22
प्रयागराज, दिनांकः 12 फरवरी, 2025

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या–ए-8/ई-1/2023, दिनांक–04.12.2023 द्वारा विज्ञापित स्टाफ नर्स (यूनानी) (पुरूष/महिला) (मुख्य) परीक्षा–2023 के अभ्यर्थियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा **दिनांक 16 फरवरी, 2025 (रविवार) को एक सत्र में (09.30 से 12.30 बजे तक) प्रदेश के लखनऊ जनपद में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के परीक्षा हॉल के भूमितल पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने से 45 मिनट पूर्व प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर दिनांक 12.02.2025 से उपलब्ध है।** अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि ''परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।''

(डी० पी० पाल)
उप सचिव